

- :: आदेश :: -

समूह 'ख' के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अवस्थिति	
1	2	3	4	5	
	सर्वकी				
1.	रिजवानुल्लाह सिद्दीकी, प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण	राजकीय लखनऊ	पालीटेक्निक, गोरखपुर	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर	जनहित में
2.	दिनेश कुमार गीतम, प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण	राजकीय गोरखपुर	पालीटेक्निक, गोरखपुर	राजकीय पालीटेक्निक, झाजमगढ़	जनहित में
3.	आनन्द कुमार, प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण	राजकीय फैजाबाद	पालीटेक्निक, फैजाबाद	राजकीय बहराइच	जनहित में
4.	एसके0 बहाना, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय कानपुर	पालीटेक्निक, कानपुर	राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर	जनहित में
5.	हरिजीव वर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय फैजाबाद	पालीटेक्निक, फैजाबाद	राजकीय महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	जनहित में
6.	सर्वेन्द्र कुमार सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय उन्नाव	पालीटेक्निक, उन्नाव	राजकीय बहराइच	जनहित में
7.	योगेश कुमार सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	महिला पालीटेक्निक, कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर	जनहित में
8.	श्रीमती नमिता वर्मा, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, बरेली	महिला पालीटेक्निक, बरेली	राजकीय रामपुर	जनहित में
9.	जनार्दन प्रसाद, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय साधरनपुर	पालीटेक्निक, साधरनपुर	राजकीय पीलीभीत	जनहित में
10.	आरके0 गुप्ता, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	राजकीय रामपुर	पालीटेक्निक, रामपुर	राजकीय उन्नाव	स्वयं के अनुरोध पर
11.	आशीष गुप्ता, प्रवक्ता फार्मसी	राजकीय पालीटेक्निक, इलाहाबाद	महिला पालीटेक्निक, इलाहाबाद	राजकीय जीनपुर	जनहित में
12.	अभ्युत प्रताप तिवारी, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय गोरखपुर	पालीटेक्निक, गोरखपुर	राजकीय गोंधी जगदीशपुर	जनहित में
13.	पदमेश पकज, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय गोरखपुर	पालीटेक्निक, गोरखपुर	राजकीय फिरोजाबाद	जनहित में
14.	दिनेश कुमार, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय लखीमपुर खीरी	पालीटेक्निक, लखीमपुर खीरी	राजकीय गोरखपुर	जनहित में
15.	अजनी कुमार शर्मा, प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	राजकीय जगदीशपुर	गोंधी पालीटेक्निक, जगदीशपुर	राजकीय कानपुर	जनहित में
16.	दुर्गा शर्मा, सहायक प्राचार्य / प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर	राजकीय फिरोजाबाद	पालीटेक्निक, फिरोजाबाद	जनहित में
17.	कु० रमिणी शुक्ला, प्रवक्ता कम्प्यूटर	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	राजकीय महिला पालीटेक्निक, फैजाबाद	जनहित में
18.	जितेन्द्र कुमार, प्रवक्ता इटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	राजकीय गाजियाबाद	जनहित में
19.	विकास कुलश्रेष्ठ, सहायक प्राचार्य / प्रवक्ता इटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	जनहित में
20.	उमेश शर्मा मोनकर, प्रवक्ता टेक्स्टाइल डिजाइन	राजकीय पालीटेक्निक, इलाहाबाद	महिला पालीटेक्निक, इलाहाबाद	राजकीय महिला पालीटेक्निक, वाराणसी	जनहित में
21.	हरीश साहू, प्रवक्ता टेक्स्टाइल डिजाइन	राजकीय पालीटेक्निक, वाराणसी	महिला पालीटेक्निक, वाराणसी	राजकीय फर्रुखाबाद	जनहित में
22.	मनोज कुमार, प्रवक्ता इंस्ट्रुमेंटेशन एण्ड कंट्रोल	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी	महिला पालीटेक्निक, झांसी	राजकीय गीनपुरी	जनहित में
23.	मो० शशीम अंतारी, प्रवक्ता कानन	राजकीय पालीटेक्निक, अमैठी	महिला पालीटेक्निक, अमैठी	राजकीय महिला पालीटेक्निक, गोरखपुर	जनहित में
24.	अनुरोध कुमार, प्रवक्ता भौतिकी	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	महिला पालीटेक्निक, लखनऊ	राजकीय पालीटेक्निक, झांसी	जनहित में

अ.स. १५

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जावेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जावे और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जावेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जावेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक-1/3/96-का-4-2014, दिनांक-04.08.2014 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओ०पी० वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पू०सं०- 5506-5708

/ई-2-पो-265.

कानपुर : दिनांक: 15. जुलाई, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2, विधान भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पश्चिमी क्षेत्र, वीरगंज (मेरठ)/मध्यक्षेत्र, लखनऊ/पूर्वीक्षेत्र, वाराणसी/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
6. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
7. संबंधित मुख्यकोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य, राजकीय प्राविधिक शिक्षण संस्थायें, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपनी संस्था से संबंधित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को अविलम्ब सूचित करें।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था प्रधानाचार्य।
10. प्रकरण सहायक (सेवा संबंधी), स्थापना अनुभाग।

(आर०सी० राजपूत)

अपर निदेशक
कृत निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र०।